30/5/24

आज यह पत्रावली वादी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र पेश करने पर पेशी में ली गयी। प्रार्थी द्वारा इस आशय का प्रार्थना-पत्र पेश किया गया है वादी का प्रति वादी से राजीनामा हो गया है। प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर वादी अब प्रतिवादी के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं करना चाहता है। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र मूल वाद के अंतर्गत है। अतः मूल वाद को निरस्त करने की अनुमति

[illegible]

Identified by me
30/5/24

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स्स जज	नम्बर व तारीख अ… की जो इस हुक्म … तामिल में जारी …
	न्यायालय द्वारा वादी को वी जोन के कारण अब वाद खारिज किया है। जोन के कारण उक्त पत्रावली में कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र- पत्रावली निर्णय आज्ञा होकर खारिज समाप्त की। उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर	

Scanned with CamScanner